जीसीएमएस नं. 2025/141

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 06/2025

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानराम निवासी 5 जी छोटी(सहारणवाली), श्रीगंगानगर, मो.न. 9887769963
2. आउल कैफे, सूरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री 02 सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : जिला रसद अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी रवि सहारण अनुपस्थित।

दिनांकः 23.01.2026

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 28.08.2025 को आउल कैफे, सूरतगढ़ रोड पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम, निवासी 5 जी छोटी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होने स्वयं को उक्त होटल का मालिक होना बताया। श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम की उपस्थिति में कैफे का निरीक्षण किया गया। कैफे की जांच में पाया कि कैफे पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग मैगी/चाय/स्नैक्स आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान पर 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाए गए। मौके पर पाए गए 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों में से 1 इंडेन गैस कंपनी एवं 1 भारत गैस का है। मौके पर पाए गए 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गए। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। **श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम** के कैफे पर पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं **श्री धीरेन्द्र पुत्रश्री रामवतार, जाति शाक्य, निवासी भाटा कॉलोनी, श्रीगंगानगर कार्मिक राजश्री गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम** के द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 6.2 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम** के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

(REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंधन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 6.2 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के नोटिस की तामील पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट अनुसार नोटिस की तामील रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम को जरिए वाट्सअप नंबर पर प्रति भेजकर तारीख पेशी के लिए सूचित किया गया व प्रति आउल कैफे में चस्पा की गई। अप्रार्थी आज दिनांक तक उपस्थित नहीं है।

राजकीय पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 28.08.2025 को आउल कैफे, सूरतगढ़ रोड पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम, निवासी 5 जी छोटी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होने स्वयं को उक्त होटल का मालिक होना बताया। श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम की उपस्थिति में कैफे का निरीक्षण किया गया। कैफे की जांच में पाया कि कैफे पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग मैगी/चाय/स्नैक्स आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान पर 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाए गए। मौके पर पाए गए 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों में से 1 इंडेन गैस कंपनी एवं 1 भारत गैस का है। मौके पर पाए गए 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गए। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। **श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम** के कैफे पर पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं **श्री धीरेन्द्र पुत्रश्री रामवतार, जाति शाक्य, निवासी भाटा कॉलोनी, श्रीगंगानगर कार्मिक राजश्री गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम** के द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 6.2 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम** के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 6.2 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश किया जाए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

(मुहर: अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.))

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 28.08.2025 को आउल कैफे, सूरतगढ़ रोड पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम, निवासी 5 जी छोटी, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला, जिन्होने स्वयं को उक्त होटल का मालिक होना बताया। श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम की उपस्थिति में कैफे का निरीक्षण किया गया। कैफे की जांच में पाया कि कैफे पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग मैगी/चाय/स्नैक्स आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान पर 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाए गए। मौके पर पाए गए 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों में से 1 इंडेन गैस कंपनी एवं 1 भारत गैस का है। मौके पर पाए गए 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलैण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गए। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। **श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम** के कैफे पर पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.2 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं **श्री धीरेन्द्र पुत्रश्री रामवतार, जाति शाक्य, निवासी भाटा कॉलोनी, श्रीगंगानगर कार्मिक राजश्री गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम** के द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 6.2 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **श्री रवि सहारण पुत्र श्री भगवानाराम** के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 6.2 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ★ श्रीगंगानगर (राज.) ★

Scanned with OKEN Scanner